विधान परिषद् के प्रथम सत्र-2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
2 (क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 जो ग्राम सभा-समुखा, विकास खण्ड-माधौगंज, जनपद-हरदोई में पेयजल की समस्या के निदान हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत शीघ्र हर घर नल जल व्यवस्था के अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण कराकर विद्यालय, चिकित्सालय, देव स्थान सहित प्रत्येक घर में पाइप लाइन बिछाकर गॉव में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेजकर प्राथमिकता के आधार पर जलापूर्ति कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ?	प्रश्नकर्ता का दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 का कोई पत्र नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली-1956 के नियम-115 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित सूचना दिनांक 06.12.2022 प्राप्त हुई है।
(ख) यदि हॉं, तो उक्त पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?	जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज की ग्राम पंचायत समुखा को जलिहापुर ग्राम पंचायत समूह पेयजल योजना में सम्मिलित करते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। वर्तमान में योजना का कार्य प्रगति पर है।
(ग) क्या जनहित में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराये जाने हेतु जल मिशन के अन्तर्गत उक्त ग्राम सभा का चयन जनपद-स्तर से कराते हुए धनराशि स्वीकृत करा दी गयी है ?	जी हॉं।
(घ) यदि हॉं, तो कब तक ग्राम सभा में जलापूर्ति संचालित करायेंगे ?	"जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत मार्च, 2024 तक पाइप पेयजल के कार्यों को पूर्ण कराया जाना लक्षित है।
(ड.) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्र देव सिंह
मंत्री
जल शक्ति,
(सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई (यांत्रिक), बाढ़ नियंत्रण, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लघु सिंचाई एवं परती भूमि विकास विभाग)।